

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाइमेर

राजस्व आवेदन सं. 59/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

भूराराम वगैरा बनाम खेताराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी -श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री मोहनसिंह सोढा

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

निर्णय

दिनांक - 04-12-2019

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा प्रभात नगर, पटवार क्षेत्र सारला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 742/524 रकबा 78.02 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। आवेदन में वर्णित खसरो की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद प्रभात नगर, पटवार क्षेत्र सारला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 742/524 रकबा 78.02 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण :-

- 1.भूराराम पुत्र लाखाराम
- 2.आसूराम
- 3.गोपाराम
- पि.खेताराम
- 4.तुलछीदेवी पत्नि खेताराम
- 5.जेठाराम पुत्र खेताराम, जाति जाट
- निवासी प्रभात नगर (सारला)
- तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

- 1.खेताराम पुत्र हेमाराम
- 2.हिमथाराम
- 3.भोजाराम
- पि.कुम्भाराम
- 4.गुणेशाराम पुत्र सिमरथाराम
- 5.गोमाराम पुत्र सालगाराम
- 6.कुम्भाराम पुत्र सिमरथाराम
- 7.भीखाराम पुत्र सालगाराम
- 8.रामाराम
9. शेराराम पि. सिमरथाराम
- 10.बांकाराम पुत्र मानाराम
- 11.आसूराम
- 12.निम्बाराम
- 13.विशनाराम
- पि.हरजी
- 14.मानीदेवी पत्नि हरजी
- 15.रामाराम पुत्र राजूराम
- 16.भगाराम पुत्र भेराराम
- 17.विरधा पुत्र सालू, जातियान जाट, निवासी प्रभात नगर (सारला)
- 18.ग्राम पंचायत सारला जरिये सरपंच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 59/2018

768

दिनांक : 04.12.19

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र सारला के मौजा प्रभात नगर के खेत खसरा सं. 742/524 रकबा 78.02 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2019/

769

दिनांक 04.12.2019

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण भूराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण खेताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

A. K. 214

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

A. K. 214

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

